वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 26.09.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, ज्ञानशिखा टाइम्स, तरुणमित्र न्यूज़, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 26.09.2025

बकाये में तीन दुकानें कराई गईं सील

वाराणसी। वीडीए के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ने बृहस्पतिवार को संपत्ति अनुभाग की समीक्षा की। बकाये पर तीन दुकानें सील कराईं और एक ने चेक से पैसे दिए। वीडीए की कैलगढ़ व्यवसायिक केंद्र योजना में हरिनारायण के दुकान नंबर 12 का किराया महीनों से जमा नहीं हो रहा है। नोटिस देने पर भी बकाया जमा नहीं किया गया और न ही उत्तर दिया गया। महानंद सिंह का दुकान नंबर 18 को सील किया गया। दुकान नंबर 16 में सुशीला देवी ने 1.33 लाख रुपये का चेक दिया। नदेसर मीट मार्केट योजना में बाबू हैदर का दुकान नंबर 4 सील किया गया। आवंटियों को बकाया धनराशि जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 26.09.2025

पूर्व में सील पांच अवैध निर्माण का निरीक्षण

वाराणसी। वीडीए के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बृहस्पतिवार को पहले से सील 5 अवैध निर्माण स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। पाया गया कि अनेक स्थलों पर बिना मानचित्र स्वीकृति, स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य किया गया था। जिन पर समय-समय पर वीडीए ने नोटिस, सीलिंग और एफआईआर की कार्रवाई की है। ब्यूरो

अवैध निर्माण सील

वाराणसी। वीडीए ने बृहस्पतिवार को अवैध निर्माण कराने पर एक भवन को सील किया। भेलूपुर के डबली सिंह और अन्य को गणेशधाम कॉलोनी, नगवां में बिना मानचित्र स्वीकृत निर्माण कराने पर नोटिस दिया गया था। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 26.09.2025

सील भवन में निर्माण होने पर दर्ज होगा मुकदमा

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर गुरुवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

अवैध निर्माण की शिकायत पर वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा खुद क्षेत्र में पूरी टीम के साथ निकल पड़े। उन्होंने बताया कि भेलूपुर वार्ड में गौरीगंज में आशीष जायसवाल अवैध निर्माण कर रहे थे। बेसमेंट के अलावा चार मंजिल निर्माण होने पर वीडीए ने सील किया था लेकिन बिल्डर सील तोड़कर निर्माण कर रहा था। देवरिया वीर, अंसार नगर के अब्दुल रब समेत अन्य निर्माण कर रहे थे। शिवाला में अनवर जमाल अवैध निर्माण कर रहे थे, उस पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित है। भेलूपुर में फरहान ताबाजूम समेत अन्य अवैध निर्माण कर रहे थे, उक्त भवन सील है। बृज इनक्लेव कालोनी में सद्दाम हुसैन स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कर रहे थे। उक्त भवन में चोरी-छिपे निर्माण होने पर दोबारा सील किया गया है। आरपीएफ अपार्टमेंट में डबली सिंह स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कर रहे थे। ये सभी भवन सील होने के बाद भी चोरी-छिपे निर्माण कर रहे थे। उक्त भवन का निरीक्षण कर भवन स्वामी व बिल्डर को निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी गई है।

न्यायाधीश–दि0 26.09.2025

वीडीए ने की 01 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में आज दिनांक 25.09.2025 को जोन-4,वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत 01 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत डबली सिंह व अन्य द्वारा आर0पी0एफ0 अपार्टमेन्ट के पीछे, आराजी सं0-221/02, गणेशधाम कालोनी, सुन्दरपुर, वार्ड-नगवाँ, जिला-वाराणसी पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये आराजी सं0-221/02 पर लगभग 3000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में भूतल पर कॉलम का निर्माण कार्य किये जाने पर अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दिनांक 30.07.2025 को नोटिस की कार्यवाही की गयी है। वर्तमान में स्थल पर निर्माणकर्ता द्वारा चोरी छिपे रात्रिकाल में नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य किये जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की सूचना धाराओं के तहत आज दिनांक 25.09.2025 को भवन को सील कर दिया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार एवं अवर अभियंता सोनू कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 26.09.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्र द्वारा संपत्ति अनुभाग की समीक्षा बैठक किया गया। समीक्षा बैठक में प्राधिकरण की कैलगढ व्यवसायिक केन्द्र योजना के अंतर्गत दुकान नंबर-12, श्री हरिनारायण व अन्य के नाम से किराये पर आवंटित की गयी है, जिसका मासिक किराया रु0 2359.50 निर्धारित है, आवंटी द्वारा विगत कई वर्षो से किराया जमा नही किया जा रहा है जिसके कारण माह सितम्बर तक रु0 1,64,674.00 (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त) बकाया हो गया है। आवंटी को किराये की बकाया धनराशि एवं विक्री मूल्य की धनराशि जमा किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.07.2023, 08.04.2024, 17.01.2025 25.03.2025, 17.07.2025 नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु आवंटी द्वारा वर्तमान तक किराये की बकाया धनराशि एवं विक्री मूल्य की धनराशि जमा नही की गयी है न ही प्राधिकरण में उपस्थित होकर कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है प्राधिकरण की कैलगढ व्यवसायिक केन्द्र योजना के अंतर्गत दुकान नंबर-18, श्री महानन्द सिंह के नाम से किराये पर आवंटित की गयी है, जिसका मासिक किराया रु0 2156.00 निर्धारित है, आवंटी द्वारा विगत कई वर्षो से किराया जमा नही किया जा रहा है जिसके कारण माह सितम्बर तक रु0 92,835.00 (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त) बकाया हो गया है। आवंटी को किराये की बकाया धनराशि एवं विक्री मूल्य की धनराशि जमा किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा दिनांक 18.07.2017, 17.01.2025, 25.03.2025, 17.07.2025 नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु आवंटी द्वारा वर्तमान तक किराये की बकाया धनराशि एवं विक्री मूल्य की धनराशि जमा नही की गयी है न ही प्राधिकरण में उपस्थित होकर कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है प्राधिकरण की कैलगढ व्यवसायिक केन्द्र योजना के अंतर्गत दुकान नंबर-16, श्रीमती सुशीला देवी के नाम से किराये पर आवंटित की गयी है, जिसका मासिक किराया रु0 4598.00 निर्धारित है, आवंटी द्वारा विगत कई वर्षो से किराया जमा नही किया जा रहा है जिसके कारण माह सितम्बर तक रु0 1,12,968.00 (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त) बकाया हो गया है। आवंटी को किराये की बकाया धनराशि एवं विक्री मूल्य की धनराशि जमा किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा दिनांक 02.06.2015, 23.09.2016 18.07.2017, 17.01.2025, 25.03.2025 नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु आवंटी द्वारा वर्तमान तक किराये की बकाया धनराशि एवं विक्री मूल्य की धनराशि जमा नही की गयी है न ही प्राधिकरण में उपस्थित होकर कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण की नदेसर मीट मार्केट योजना के अंतर्गत दुकान नंबर-4, श्री बाबू हैदर के नाम से किराये पर आवंटित की गयी है, जिसका मासिक किराया रु0 2178.00 निर्धारित है, आवंटी द्वारा विगत कई वर्षो से किराया जमा नही किया जा रहा है जिसके कारण माह सितम्बर तक रु0 4,10,672.00 (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त) बकाया हो गया है। आवंटी को किराये की बकाया धनराशि एवं विक्री मूल्य की धनराशि जमा किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.07.2023, 10.04.2024, 30.12.2024 नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु आवंटी द्वारा वर्तमान तक किराये की बकाया धनराशि एवं विक्री मूल्य की धनराशि जमा नही की गयी है न ही प्राधिकरण में उपस्थित होकर कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया है। डा0 वेद प्रकाश मिश्रा, सचिव, जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता, प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति, सहायक सम्पत्ति अधिकारी एवं पटल सहायक द्वारा मौके पर उपस्थित होकर कैलगढ व्यवसायिक केन्द्र योजना के अंतर्गत 1. दुकान नंबर-12, श्री हरिनारायण व अन्य 2. दुकान नंबर-18, श्री महानन्द सिंह को सील किया गया तथा दुकान संख्या 16, सुशीला देवी द्वारा मौके पर रू0 1,33,500.00 का चेक के माध्यम से धनराशि किया गया एवं नदेसर मीट मार्केट योजना के अंतर्गत दुकान नंबर-4, श्री बाबू हैदर को सील किया गया।

न्यायाधीश–दि0 26.09.2025

वीडीए की अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई : सचिव द्वारा किया गया सील स्थलों का निरीक्षण

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा पूर्व में सील किए गए अवैध निर्माण स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अनेक स्थलों पर बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य किया गया था, जिन पर समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा नोटिस, सीलिंग एवं एफ.आई.आर. की कार्रवाई की जा चुकी है। निरीक्षण के अंतर्गत निमनलिखित प्रकरण सम्मिलित रहे -निर्माणकर्ताः श्री आशीष जायसवाल पुत्र श्री सुनील जायसवाल व अन्यस्थानः भवन सं. -12/112-ए4-5, गौरीगंज, होटल डायमंड के पास, वार्ड-भेलूपुर विवरणः लगभग 199.37 वर्गमीटर पर रोड वाइडनिंग व सेटबैक कवर कर (ईअई3) तल का निर्माण।19.12.2024 को नोटिस, सुनवाई तिथियों पर अनुपस्थित। 14.07.2025 को थाना भेलूपुर को पत्र, 15.09.2025 को सील। बिल्डर मो0 रिजवान द्वारा सील तोड़कर पुनः निर्माण करने पर ईं सं. 0363 दिनांक 20.09.2025 दर्ज। 22.09.2025 को पुनः सील।निर्माणकर्ताः श्री अब्दुल रब व अन्य स्थानः भवन सं. -19/17-3, देवरिया वीर, अंसार नगर, वार्ड-भेलूपुर विवरणः लगभग 1500 वर्गफीट क्षेत्र पर बेसमेंट की ढलाई पूर्ण कर भूतल पर शटरिंग। कार्रवाईः 19.05.2025 को नोटिस, 24.07.2025 को थाना भेलूपुर को पत्र, 19.09.2025 को सील।विशेषः बिल्डर मो0 रिजवान के विरुद्ध ईं सं. 0363 दिनांक 20.09.2025 दर्ज। 22.09.2025 को पुनः सील।निर्माणकर्ताः श्री अनवर जमाल स्थानः भवन सं. -3/321, मोहल्ला शिवाला, वार्ड-भेलूपुर विवरणः बिना मानचित्र स्वीकृति के बहुमंजिली इमारत।कार्रवाईः 29.08.2024 को नोटिस, 21.09.2024 को सील। पुनः निर्माण पाए जाने पर 12.11.2024 को सील एवं ईं सं. 0507 दिनांक 21.11.2024 दर्ज।विशेषः 19.04.2025 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित। 22.09.2025 को पुनः सील।निर्माणकर्ताः श्री फरहान ताबाजूम व अन्य स्थानः भवन सं -20/1, मौजा भेलूपुर, वार्ड-भेलूपुर विवरणः लगभग 900 वर्गफीट क्षेत्र में सेटबैक कवर कर (ऊ3) तल का निर्माण। कार्रवाईः 23.01.2025 को सील, 22.09.2025 को पुनः सील।निर्माणकर्ताः श्री सद्दाम हुसैन पुत्र स्व. अहमद हाजी स्थानः भवन सं. -13/35-163, आराजी सं. 306, बृज इनक्लेव कॉलोनी, सरायसुरजन, वार्ड-नगवॉ विवरणः लगभग 579 वर्गमीटर में स्वीकृत मानचित्र सं. ईंझ/22-23/1116 के विपरीत फ्रंट, साइड व रियर सेटबैक प्रभावित कर तृतीय तल पर शटरिंग।कार्रवाईः 29.07.2024 को सील। निर्माणकर्ता द्वारा सील तोड़ने पर FIR meb. 0327 थाना भेलूपुर में दर्ज। 11.09.2025 को पुनः सील कर गेट में ताला डाला गया। 15.09.2025 को पुनः री-सील। सतत निगरानी हेतु पुलिस को पत्र प्रेषित। सचिव द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि सील तोड़कर पुनः निर्माण कार्य करने वालों के विरुद्ध ईं दर्ज कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ।इसके अलावा अवैध निर्माण की सतत निगरानी एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु संबंधित थाना व क्षेत्रीय अभियंताओं को निर्देशित किया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

तरूणमित्र न्यूज–दि0 26.09.2025

वीडीए सचिव ने मौके पर पहुंच बकाया धनराशि जमा न करने वाले दुकानों को किया सील

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डा वेद प्रकाश मिश्रा के निर्देशन में जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता, प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति, सहायक सम्पत्ति अधिकारी एवं पटल सहायक ने गुरुवार को कैलगढ़ व्यवसायिक केन्द्र योजना के अंतर्गत दुकान नंबर-12 (हरिनारायण व अन्य), दुकान नंबर-18(महानन्द सिंह) को सील कर दिया गया।

साथ ही दुकान संख्या 16 सुशीला देवी द्वारा मौके पर 1,33,500 रु चेक के माध्यम से धनराशि किया गया एवं नदेसर मीट मार्केट योजना के अंतर्गत दुकान नंबर-4 (बाबू हैदर) को सील किया गया। आवंटी को किराये की बकाया धनराशि जमा किये जाने हेतु 15 दिन का समय दिया गया है यदि आवंटी द्वारा उक्त अवधि में भी बकाया धनराशि जमा नही की जाती है तो दुकान का आवंटन निरस्त करते हुए ई-ऑक्शन के माध्यम से विक्रय/नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा निर्देशित किया गया है कि ऐसे दुकानदार जो काफी लम्बे समय से बकाया धनराशि जमा नहीं कर रहे है, उनको अभियान चलाकर इस सप्ताह में सील कराना सुनिश्चित करें। ऐसी लगभग 8-10 दुकाने और चिन्हित की गयी हैं, जिनमे सीलिंग की कार्यवाही इस सप्ताह करायी जाएगी।

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा बकाया धनराशि जमा न करने वाले दुकानों को सील करवाते हुए